

समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू-अर्जन भाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VII

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 184/2016-17 (रेलवे) ...145.../भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 30/01/19

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु मौजा- तेतरिया, थाना नं०- 205, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में कुल- 2.768 एकड़ यानि हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 2.768 एकड़ यानि हेक्टेयर है और जो मौजा- तेतरिया, थाना नं०- 205, अंचल- पथरगामा, जिला-गोड्डा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकबा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	13	निजी	धानी II	0.142	0.142	मदन तिवारी, पिता- स्व० अध्याचरण तिवारी	15	9	13 अंश	12
2	7	29	निजी	धानी II	0.158	0.02167	कटकी महतो, पिता- स्व० हुरो महतो	ताराटिकर	30	29 अंश	29 अंश
3		30	निजी	धानी II	0.159	0.02167	गोपेश्वर महतो, पिता- स्व० हुरो महतो	29	31	31	30 अंश
4		31	निजी	धानी II	0.883	0.02167	सरयु यादव, पिता- स्व० हुरो महतो	30	34	31 अंश	31 अंश
5		34	निजी	धानी III	0.176	0.02167	कैलु यादव, पिता- स्व० ईश्वर महतो	31	19	34 अंश	19
6						0.02167	विपेश यादव, पिता- स्व० लोथी महतो				
7						0.01204	रत्नेश्वर यादव, पिता- अशर्फी महतो				
8						0.01204	आनंदी यादव, पिता- अशर्फी महतो				
9						0.01204	विजय यादव, पिता- अशर्फी महतो				
10						0.03611	मो० यशोदा देवी, पिता- स्व० गिरी महतो				
11						0.03612	मोती महतो, पिता- स्व० धुरो महतो				
12						0.65910	चुटकी महतो, पिता- स्व० जागो महतो				

13					0.04169	महावती देवी, पति- स्व0 गुलाबी यादव					
14					0.04168	सुगिया देवी, पति- स्व0 रघुनाथ यादव					
15					0.04168	विरंची यादव, पिता- स्व0 हरचंद महतो					
16					0.12506	इन्दरवती, पति- स्व0 रीतलाल यादव					
17					0.12505	जगदीश यादव, पिता- स्व0 फिरंगी महतो					
18					0.12504	चंदर यादव, पिता- स्व0 कटकी महतो					
19		7	निजी	धानी II	0.281	0.11970	नीलम देवी, पति- स्व0 जयकिशोर मीशर	9	भट्टाचक	7 अंश	7 अंश
20		15	निजी	धानी II	0.198	0.11970	अवध किशोर मीशर, पिता- स्व0 जहीन्दर मीशर	18	13	15 अंश	15 अंश
21	8					0.11970	कृष्णकांत मीशर, पिता- स्व0 महीन्द्र मीशर				
22						0.05995	जयप्रकाश मिश्र, पिता- स्व0 इन्द्रनारायण मिश्र				
23						0.05995	ओमप्रकाश मिश्र, पिता- स्व0 इन्द्रनारायण मिश्र				
24		19	निजी	धानी III	0.230	0.117	नागेश्वर मिश्र, पिता- स्व0 सत्यनारायण मिश्र	27, 31	18	19 अंश	19 अंश
25		27	निजी	धानी II	0.004	0.02925	अरुणा देव्या, पति- स्व0 दिगम्बर मिश्र	27 अंश	19	31	27 अंश
26	11					0.02925	राधेश्याम मिश्र, पिता- स्व0 देवनारायण मिश्र				
27						0.02925	श्यामसुन्दर मिश्र, पिता- स्व0 देवनारायण मिश्र				
28						0.02925	कल्पना देवी, पति- स्व0 सुबोध मिश्र				
29	12	18	निजी	धानी III	0.184	0.184	हरिश दूबे, पेशरान- भुवनेश्वर दूबे (आर. टी.) के वर्तमान वारिसान का प्रतिवेदन अप्राप्त।	19	15	18 अंश	18 अंश
30	13	12	निजी	धानी II	0.034	0.034	सावित्री देवी, पति- स्व0 युगल किशोर दूबे	15	9	13	12 अंश
31		14	9	निजी	धानी II	0.319	उपेन्द्र प्रसाद यादव, पिता- स्व0 मुनेश्वर प्रसाद यादव	13	7	13 अंश	13 अंश
32						0.1595	अनुपलाल यादव, पिता- स्व0 मुनेश्वर प्रसाद यादव				
कुल रकवा-					2.768	2.768	एकड़				

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

मौजा- तेतरिया, थाना नं०- 205, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में कुल- 2.768 एकड़ यानि हेक्टेयर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार* नीचे दिये गये है :-

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू० पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

उपरोक्त भूमि चिन्हित एवं मापित है, इस जमीन में इच्छुक/हितबद्ध सभी व्यक्ति, स्वयं अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 05.03.19 से 18.03.19 तक कार्यालय अवधि- 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दो प्रति में दे सकते है एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

अपने दावे का प्रकार और क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दावे या धारा- 12 के तहत जमीन के मेजरमेंट से संबंधित आपत्ति/दावा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बँटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि के दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश की प्रति देंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापक 145/भू0अ0 दिनांक :- 30/01/19 ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिघोषणा का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 145/भू0अ0 दिनांक :- 30/01/19 ।

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पथरगामा को निदेश है कि उक्त अधिघोषणा जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 145/भूअ0 दिनांक : 30/01/19

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
गोड्डा।